

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 814 FP/UK/ROAD/11039/2015 दिनांक: देहरादून 21 सितम्बर, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड,
देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में दिवालीखाल किमोली से नारायणबगड़ मोटर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में।

FP/UK/ROAD/11039/2015

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 18.04.2019

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 18.04.2019 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	As per perusal of KML file of the road, it is seen that the road cuts through dense forest including felling of 1190 trees but seems to be connected from other side from other side from the road network.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बताया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग गैरसैण ब्लॉक को नारायणबगड़ को जोड़ने हेतु वैकल्पिक तथा न्यूनतम दूरी का मार्ग है। जिससे सम्बन्धित प्रपत्र Justification के नाम से Additional file upload कर दी गयी थी। Justification संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न-1
2	In reply of point no- 06 digital map of road is not C/S by DFO.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बताया गया है कि उक्त आपत्ति का निराकरण पार्ट 1 के पैरा C में संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।
3	Reply to point no-08,10,12,18 and 19 of previous eds still not corrected.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत गया है कि:- बिन्दु संख्या -08 में justification के नाम से additional file upload कर दी गयी थी। बिन्दु संख्या-10 में ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र पुनः पार्ट 1 K में अपलोड कर दी गयी है। संलग्न-2 बिन्दु संख्या 12 में ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र पुनः पार्ट 1 के additional file में अपलोड कर दिया गया है। बिन्दु संख्या 18 के अनुसार केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न की गयी है। संलग्न-3 बिन्दु सं० 19 के क्रम में justification के नाम से additional file में अपलोड कर दी गयी है।
4	In reply to point no 09 C/B analysis now required in new format.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बताया गया है कि C/B analysis को New format में बना कर पार्ट 1 के पैरा G-i (a) में upload कर दिया गया है। जिसे संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न-4
5	In reply to point no-14 and 18 CA area seems to be changed from Kimoli to Gherbunga. But revised CA scheme is not submitted uploaded along with site suitability certificate.	प्रस्तावक विभाग द्वारा बताया गया है कि बिन्दु संख्या 14 में नई दरों पर गठित कर पार्ट 1 additional information revised CA scheme के नाम से अपलोड कर दिया गया है, तथा बिन्दु संख्या 18 का निराकरण संयुक्त निरीक्षण के नाम से पार्ट 1 के additional information के नाम से अपलोड कर दिया गया है। संलग्न-5

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा) 21/9/19

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी